झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

रिट याचिका (एल) सं. 2033 वर्ष 2012

अनिल कुमार प्रसाद पुत्र श्री भूषण प्रसाद, निवासी गायत्री नगर (ग्वाला बस्ती) डाकखाना इन्द्रानगर थाना टेलको, जमशेदपुर-831008 **.....याचिकाकर्ता**

बनाम

1. झारखण्ड राज्य इसका सचिव, श्रम प्रशिक्षण एवं नियोजन विभाग, सचिवालय भवन, नेपाल हाउस, दोरन्दो डाकखाना तथा थाना दोरन्दो, राँची-834002
2. प्रबन्धन मेसर्स टेलको द्वारा वरिष्ठ महा प्रबन्धक जमशेदपुर डाकखाना तथा थाना-टेलको, कस्बा-जमशेदपुर, जिला-पूर्वीसिंहभूम

-------उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अशोक कुमार सिन्हा(4), अधिवक्ता
श्री संजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं.02 के लिए : सुश्री रश्मि कुमार, अधिवक्ता

निर्णय

मा. श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनो पक्ष को सुना

2. इस रिट याचिका को संदर्भ मामला सं. 11वर्ष 1993 जो इस रिट याचिका का उपाबंध-1 है में पारित आदेश दिनांक 19-02-2005 जिसे 06-06-2005 को खुले न्यायालय में सुनाये जाने का दावा किया गया है का अभिखंडन करने के अनुरोध के साथ अन्य बातो के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दाखिल किया गया है।

3. न्यायालय द्वारा पूछने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधिनिर्णय से प्रदर्शित होता है कि इसे 19-02-2005 को न्यायालय में किया गया था तथा सुनाया गया था लेकिन किस आधार पर इस रिट याचिका में प्रकथन किया गया है कि इसे 06-06-2005 को सुनाया गया था, यह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को ज्ञात नही है, क्योकि रिट याचिका के अभिवचनो को किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा दिया गया था।

4. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि समुचित सरकार ने औद्यौगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1)(ग) के अधीन निम्न संदर्भ किया था:-

"क्या सर्व श्री वाई.के.पाण्डेय तथा ए.के. प्रसाद, ड्रेसर, टेलको वर्क्स हॉस्पिटल, टेलको लि., जमशेदपुर की सेवा समाप्ति उचित है? यदि नही तो क्या इन्हे काम पर पुनः स्थापित किया जाना चाहिए या/ तथा प्रतिकर प्राप्त करना चाहिए?

5. विद्वान श्रम न्यायालय, जमशेदपुर ने विचारार्थ निम्न तीन विवाद्यको को विरचित किया था :

(i) क्या अनिल कुमार प्रसाद, ड्रेसर की सेवा समाप्ति उचित है या नही?

(ii) क्या 21 अगस्त 1996 को कर्मकार तथा प्रबंधन के बीच किया गया समझौता वैध तथा पक्षकारो के बीच स्वेच्छया किया गया है?

(iii) कौन सा अनुतोष, यदि कोई है, का कर्मकार हकदार है?

6. विद्वान श्रम न्यायालय, जमशेदपुर ने विवाद्यक सं.(i) का उत्तर निम्नवत दिया था:-

"मैं पाता तथा धारित करता है कि कर्मकार अनिल कुमार प्रसाद की सेवा समाप्ति वैध है। इस प्रकार विवाद्यक सं.(i) का उत्तर तद्नुसार प्रबंधन के पक्ष में दिया जाता है।"

7. विवाद्यक सं. (ii) के संबंध में, विद्वान श्रम न्यायालय, जमशेदपुर निम्न निष्कर्ष पर आया था:-

"मैं पाता हूँ कि समझौता पक्षकारो के बीच स्वेच्छया किया गया तथा इस कर्मकार को गुमराह नही किया गया था"

8. विवाद्यक सं. (iii) का विनिश्चय यह धारित करते हुए किया गया था कि कर्मकार अनिल कुमार प्रसाद किसी अनुतोष का हकदार नही है।

9. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह अभिन्न अनुतोष हेतु रिट याचिकाकर्ता की दूसरी यात्रा है क्योकि पहले रिट याचिकाकर्ता ने रि.या.(एल) सं. 433 वर्ष 2006 दाखिल किया था। इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने तथ्य पर विचार करते हुए आदेश दिनांक 17-09-2010 द्वारा निम्न एक बिन्दु पर मामले को प्रतिप्रेषित किया था:-

"यह कि क्या दस्तावेज उपाबंध-7 अर्थात बैंक ऑफ इंडिया से पत्र दिनांक 25 जून 1998 पर विचार करने के बाद जिस पर इस निस्कर्ष पर पहुँचने के लिए विचार नही किया गया था कि क्या कर्मकार ने 240 दिन काम किया है?

तथा संप्रेक्षित किया कि न्यायालय दास्तावेज पर विचार करेगा तथा इस एक बिन्दु पर नया आदेश पारित करेगा तथा आगे संप्रेक्षित किया कि विनिश्चित अन्य बिन्दु यथावत रहेगा तथा रिट याचिका निपटाया था।

10. रि.या.(एल) सं. 433 वर्ष 2006 में पारित इस न्यायालय के समन्वय पीठ के उक्त आदेश को चुनौती नही दिया गया है तथा यह अंतिमता प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार के प्रतिप्रेषण के परिणामस्वरूप, श्रम न्यायालय, जमशेदपूर ने यह निष्कर्ष देते हुए 31-05-2011

को अधिनिर्णय पारित किया था कि कर्मकार ने साबित किया है कि इसने सेवा समाप्ति की तिथि के पूर्ववर्ती वर्ष में 240 दिनो से अधिक काम किया है। इस प्रकार से, मा. न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विवाद्यक को एतदद्वारा हाँ में उत्तरित किया जाता है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूकि यह साबित है कि याचिकाकर्ता ने सेवा समाप्ति के तिथि के पूर्ववर्ती एक वर्ष में 240 दिन पूरा किया है तथा सेवा समाप्ति के पहले विधि के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन नही किया गया है, याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहा समझा जाता है मानो छटनी का कोई आदेश पारित नही किया गया है। अतः अधिनिर्णय दिनांक 19-02-2005 में निष्कर्ष अनुचित है तथा पूरे पिछले मजदूरी के साथ पुनः स्थापन के अनुतोष का प्रत्याख्यान मनमाना तथा विधि के प्रावधान के विरूद्ध है। अतः यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता को मामले के तथ्यो तथा परिस्थितियो में सभी पारिणामिक अनुतोष तथा पिछले मजदूरी के साथ पुनः स्थापन का हकदारा ठहराया जाय तथा रि.या.(एल) सं. 433 वर्ष 2006 में पारित उच्च न्यायालय का आदेश तथा मा. न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में एक ही संदर्भ मामले में पारित श्रम न्यायालय, जमशेदपुर का नया अधिनिर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुदत्त न किया जाय। प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि शब्द " अनुदत्त न किया जाय" में अनुरोध के भाग में कुछ त्रुटि है जिसका उल्लेख अनुरोध के भाग में नही किया जाना चाहिए था।

12. प्रत्यर्थी सं.2 के विद्वान अदिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने पहले ही रि.या.(एल) सं. 433 वर्ष 2006 में आदेश दिनांक 17-09-2010 द्वारा सुनिश्चित तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि श्रम न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा विनिश्चित बिन्दु यथावत रहेगा तथा प्रश्न जिसमें विवाद्यक सं.(3) शामिल है जो है "कौन सा अनुतोष, यदि कोई कर्मकार अधिकृत है? तथा उत्तर यह है कि कर्मकार किसी अनुतोष का हकदार नही है। इसलिए एक बार समन्वय पीठ ने विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा विरचित तीनो विवाद्यको के निष्कर्ष के संबंध में स्पष्ट आदेश द्वारा अनुमोदन की अपनी मुहर लगा दिया है तथा इसका उत्तर जो प्रबंधन के पक्ष में है का अनुमोदन किया गया है तथा समन्वय पीठ ने किन्ही तीनो विवाद्यको के किन्ही निष्कर्षी को अपास्त किये बिना आदेश दिनांक 17-09-2010 द्वारा रि.या.(एल) सं. 433 वर्ष 2006 को निपटाया था तथा उक्त आदेश याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती न दिये जाने के कारण अंतिमता प्राप्त कर चुका है, इस रिट याचिका में विनिश्चत किये जाने के

लिए और कुछ नही है तथा वास्तव में, यह रिट याचिका पोषणीय नही है, अतः यह रिट याचिका किसी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

13. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्दवी निवेदनो को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रीयो का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, जैसा प्रत्यर्थी सं. 02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ठीक ही निवेदन किया गया है कि रि. या. (एल) सं. 433 वर्ष 2006 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 17-09-2010 द्वारा सुनिश्चित तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि श्रम न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा विनिश्चत अन्य बिन्दु जैसा पहले ही ऊपर उल्लिखित है, तीन विवाद्यक शामिल है, जिसके निष्कर्ष पर श्रम न्यायालय द्वारा पहुँचा गया है समन्वय पीठ द्वारा जिक्र भी नही किया गया है या अपास्त नही किया गया है बल्कि समन्वय पीठ ने किन्ही विवाधको के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नही पाया था। समन्वय पीठ का उक्त आदेश चुनौती न दिये जाने के कारण अंतिमता प्राप्त कर चुका है।

14. अतः यह न्यायालय याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष देने के लिए इस रिट याचिका में कोई गुणावगुण नही पाता है, जैसा अनुरोध किया गया है। तद्नुसार, इस रिट याचिका को सभी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

दिनांक 8 फरवरी, 2024

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)